

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.3(1)चि.स्वा./ग्रुप-2/12

जयपुर, दिनांक : 27.01.2012

संशोधित आदेश

चूंकि श्री श्रीराम मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के विरुद्ध जांच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री श्रीराम मिश्रा को तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से निलम्बित करने के एतद द्वारा आदेश प्रदान करती है।

निलम्बन काल में श्री श्रीराम मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी का मुख्यालय निदेशक, जन स्वास्थ्य के कार्यालय में रहेगा। श्री श्रीराम मिश्रा को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


आज्ञा से,

—ह.—

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 2- निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय ।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
- 4- निदेशक, जनस्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति पंजिका में श्री श्रीराम मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की उपस्थिति दर्ज करावें एवं इनके विरुद्ध सी. सी. ए. नियम-16 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि इस विभाग को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करावें।
- 5- अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
- 6- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जयपुर
- 7- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय
- 8- श्री श्रीराम मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय
- 9- कम्प्यूटर सेल
- 10- निजी /रक्षित पत्रावली


शासन सहायक सचिव